



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 5]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 29 जनवरी, 2021-माघ-9, शके 1942

भाग 3 (1)

विज्ञापन

अन्य सूचनाएं

नाम परिवर्तन

मैं, योगेश्वर सिंह पुत्र श्री पूरन सिंह माता श्रीमती अर्चना सिंह सर्व-साधारण को सूचित करता हूँ कि, मेरा नाम योगेश्वर सिंह है मेरी बीमा पॉलिसी क्र. 201231364 एवं जन्म प्रमाण-पत्र तथा अन्य प्रपत्रों में मेरा नाम प्रणय ओशनिक पुत्र श्रीमती अर्चना सगर लिखा गया है. जो कि गलत है. जबकि मुझे वर्तमान में योगेश्वर सिंह के नाम से जाना, पहचाना एवं पुकारा जाता है तथा मेरे शैक्षणिक प्रमाण-पत्र एवं पेन कार्ड, आधार कार्ड, में योगेश्वर सिंह पुत्र श्री पूरन सिंह लिखा गया है और वर्तमान में योगेश्वर सिंह पुत्र श्री पूरन सिंह माता श्रीमती अर्चना सिंह के नाम से ही जाना, पहचाना एवं पुकारा जाता हूँ और योगेश्वर सिंह के नाम से ही हस्ताक्षर करता हूँ. अतः मेरी बीमा पॉलिसी क्र. 201231364 एवं जन्म प्रमाण-पत्र तथा अन्य प्रपत्रों में मेरा नाम प्रणय ओशनिक के स्थान पर योगेश्वर सिंह पुत्र श्री पूरन सिंह माता श्रीमती अर्चना सिंह लिखा एवं पढ़ा जाये. आमजन एवं सर्वजन सूचित हों.

पुराना नाम :

(प्रणय ओशनिक)

(620-बी.)

नया नाम :

(योगेश्वर सिंह)

पुत्र-श्री पूरन सिंह,
माता-श्रीमती अर्चना सिंह,
पता-389, सुरेश नगर, थाटीपुर,
ग्वालियर (म.प्र.).

नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, जीतिका तोमर पुत्री स्व. श्री सतेन्द्र सिंह तोमर का जन्म 04-09-1998 को हुआ था. जन्म के समय मेरा नाम सलौनी सिंह रखा गया था, जबकि समस्त शासकीय दस्तावेजों में मेरा नाम जीतिका तोमर अंकित है, चूँकि सलौनी सिंह और जीतिका तोमर एक ही व्यक्ति के नाम हैं. अतः भविष्य में मुझे सलौनी सिंह के स्थान पर जीतिका तोमर के नाम से जाना व पहचाना जावे.

पुराना नाम :

(सलौनी सिंह)

(621-बी.)

नया नाम :

(जीतिका तोमर)

पुत्री-स्व. श्री सतेन्द्र सिंह तोमर,
निवासी-हाथीखाना कॉलोनी,
तह. जिला शिवपुरी.

उप-नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, युसुफ जॉर्ज विलियम (YOUSUF GEORGE WILLIAM) पिता स्व. असगर अली (ASGAR ALI) माता स्व. इडिथ जॉर्ज विलियम (EDITH GEORGE WILLIAM), उम्र 38 वर्ष, निवासी म. नं. 558, जे.बी.पी. रोड, नमन इन्क्लेब कॉलोनी, मानस नगर, मकरोनिया मुहाल, सागर (म.प्र.) 470004 है। मैं, अपने नाबालिग पुत्र लकी अली (LUCKY ALI) आयु 14 वर्ष के समस्त शैक्षणिक एवं अन्य शासकीय/अशासकीय दस्तावेजों में लकी अली (LUCKY ALI) पिता सैय्यद युसुफ अली (SAIYAD YOUSUF ALI) के स्थान पर लकी जॉर्ज विलियम (LUCKY GEORGE WILLIAM) पिता युसुफ जॉर्ज विलियम (YOUSUF GEORGE WILLIAM) दर्ज करवाना चाहता हूँ, चूँकि अब मेरा उपनाम परिवर्तित होकर युसुफ जॉर्ज विलियम (YOUSUF GEORGE WILLIAM) हो चुका है जो कि 1582 मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 25 दिसम्बर, 2020 भाग-3(1) (450-बी) में प्रकाशित किया जा चुका है। अब से वर्तमान में मेरे पुत्र का नाम लकी जॉर्ज विलियम (LUCKY GEORGE WILLIAM) पिता युसुफ जॉर्ज विलियम (YOUSUF GEORGE WILLIAM) के नाम से पढ़ा-लिखा एवं दर्ज किया जावे।

(618-बी.)

युसुफ जॉर्ज विलियम,
(YOUSUF GEORGE WILLIAM).

नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है, मेरा नाम सैय्यद आर्यन अली (SAIYAD ARYAN ALI) पिता सैय्यद युसुफ अली (SAIYAD YOUSUF ALI) उर्फ युसुफ जॉर्ज विलियम (YOUSUF GEORGE WILLIAM) उम्र लगभग 19 वर्ष, निवासी म. नं. 558, जे.बी.पी. रोड, नमन इन्क्लेब कॉलोनी, मानस नगर, मकरोनिया मुहाल, सागर (म.प्र.) 470004 है। मेरे समस्त शैक्षणिक एवं अन्य शासकीय/अशासकीय दस्तावेजों में मेरा नाम सैय्यद आर्यन अली (SAIYAD ARYAN ALI) पिता सैय्यद युसुफ अली (SAIYAD YOUSUF ALI) लेख है। चूँकि मेरे पिता का वर्तमान बदला हुआ उपनाम युसुफ जॉर्ज विलियम (YOUSUF GEORGE WILLIAM) है जो कि 1582 मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 25 दिसम्बर, 2020 भाग-3(1) (450-बी) में प्रकाशित किया जा चुका है। उपरोक्त सैय्यद युसुफ अली (SAIYAD YOUSUF ALI) एवं युसुफ जॉर्ज विलियम (YOUSUF GEORGE WILLIAM) दोनों मेरे पिता के नाम हैं। मैं अपने शैक्षणिक/शासकीय/अशासकीय दस्तावेजों में सैय्यद आर्यन अली (SAIYAD ARYAN ALI) के स्थान पर आर्यन जॉर्ज विलियम (ARYAN GEORGE WILLIAM) पिता युसुफ जॉर्ज विलियम (YOUSUF GEORGE WILLIAM) दर्ज करवाना चाहता हूँ, अब वर्तमान में मेरा नाम आर्यन जॉर्ज विलियम (ARYAN GEORGE WILLIAM) पिता युसुफ जॉर्ज विलियम (YOUSUF GEORGE WILLIAM) के नाम से पढ़ा-लिखा एवं दर्ज किया जावे।

पुराना नाम :
(सैय्यद आर्यन अली)
(SAIYAD ARYAN ALI)
(619-बी.)

नया नाम :
(आर्यन जॉर्ज विलियम)
(ARYAN GEORGE WILLIAM)

नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, आशीष कुमार पाठक पिता का नाम राघव राम पाठक जाति ब्राह्मण, निवासी ग्राम व पोस्ट बरहा, तहसील लहार, जिला भिण्ड (म.प्र.) का हूँ। मेरा नाम सभी शैक्षणिक दस्तावेजों में एवं शासकीय आवेदनों में आशीष पाठक के स्थान पर आशीष कुमार पाठक पढ़ा जावे। आशीष पाठक एवं आशीष कुमार पाठक एक ही व्यक्ति है।

पुराना नाम :
(आशीष पाठक)
(622-बी.)

नया नाम :
(आशीष कुमार पाठक)

नाम परिवर्तन

मैं, दिलासा राम श्रीवास्तव आत्मज श्री रामानंद श्रीवास्तव, आयु 60 वर्ष, निवासी ए-49, इन्द्रप्रस्थ कॉलोनी, बर्राई, कटारा हिल्स, भोपाल (म.प्र.) सेवानिवृत्त कार्यालय अधीक्षक (कार्यालय दूरसंचार जिला अभियंता रायसेन)। यह कि मेरा पूरा नाम दिलासा राम श्रीवास्तव ही है सभी दस्तावेजों (आधार कार्ड, पेन कार्ड, ड्रायविंग लाईसेंस, राशन कार्ड, मार्कशीट, सेवानिवृत्ति आदेश) में यही नाम अंकित है। त्रुटिवश सेवा-पुस्तिका में केवल दिलासारांम ही लिखा हुआ है। मेरा पुराना नाम दिलासारांम है। अतः भविष्य में मुझे दिलासा राम श्रीवास्तव के नाम से जाना व पहचाना जावे।

पुराना नाम :
(दिलासारांम)
(623-बी.)

नया नाम :
(दिलासा राम श्रीवास्तव)

नाम परिवर्तन

मैं, नाजिया बानो (NAJIYA BANO) पुत्री श्री अहमद सर्व-साधारण को सूचित करती हूँ, कि मेरा नाम नाजिया बानो (NAJIYA BANO) है। जो मेरे शैक्षणिक प्रमाण-पत्रों एवं शासकीय/अशासकीय प्रमाण-पत्रों में अंकित है, मेरे UTI MUTUAL FUND में मेरा नाम नाजिया हुसैन (NAZIYA HUSSAIN) गलती से लिखा गया है जोकि गलत है। और वर्तमान में मैं, नाजिया बानो (NAJIYA BANO) पुत्री श्री अहमद के नाम से ही जानी, पहचानी एवं पुकारी जाती हूँ तथा हस्ताक्षर करती हूँ और भविष्य में भी

मैं, नाजिया बानो (NAJIYA BANO) के नाम से जानी, पहचानी एवं पुकारी जाऊंगी तथा हस्ताक्षर करती रहूँगी. अतः मेरी UTI MUTUAL FUND मेरा नाम नाजिया हुसैन (NAZIYA HUSSAIN) के स्थान पर नाजिया बानो (NAJIYA BANO) लिखा जाये एवं पढ़ा जाये. आमजन एवं सर्वजन सूचित हों.

पुराना नाम :
(नाजिया हुसैन)

(630-बी.)

नया नाम :
(नाजिया बानो)
(NAJIYA BANO)
पुत्री-श्री अहमद,
निवासी-वार्ड नं. 07, शंकर कॉलोनी,
सेवड़ा, दतिया (म.प्र.).

नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि, पूर्व में मेरे कुछ शासकीय दस्तावेजों में मेरा नाम मुकेश चंद साहू लिखा गया है. जिसे मैंने पूर्व के नाम को परिवर्तित कर अपना नाम हुकम चंद साहू कर लिया है. अब मुझे अपने परिवर्तित नाम हुकम चंद साहू के नाम से ही समाज में जाना व पहचाना जायेगा, जो कि मेरे आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पेन कार्ड, स्थानांतरण प्रमाण-पत्र, राशनकार्ड, मूल निवास प्रमाण-पत्र एवं समग्र आईडी में अंकित है.

पुराना नाम :
(मुकेश चंद साहू)

(631-बी.)

नया नाम :
(हुकम चंद साहू)
पुत्र-स्व. श्री मोतीलाल,
निवासी-पंचायती जैन मंदिर के पास,
शास्त्री वार्ड, गोटेगांव, नरसिंहपुर (म.प्र.).

नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित हो कि, मेरे विवाह के पूर्व का नाम लता आसनानी पुत्री श्री राधाकिशन आसनानी है, जोकि मेरे शैक्षणिक अंकसूची व अन्य दस्तावेजों में भी दर्ज हुआ. सामाजिक रीति-रिवाज के अनुसार मेरे विवाह के उपरांत ही मेरा नाम परिवर्तित होकर मनीषा नरियानी हुआ. तदोपरांत से ही मैं, मनीषा नरियानी पत्नी श्री अजीत कुमार नरियानी के परिवर्तित नाम से जानी व पहचानी जाती हूँ.

पुराना नाम :
(लता आसनानी)

पुत्री-श्री राधाकिशन आसनानी.
(632-बी.)

नया नाम :
(मनीषा नरियानी)
पत्नी-श्री अजीत नरियानी,
निवासी-एच-23/27, बैरागढ़, भोपाल-30.

नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे सेवा अभिलेख में मेरा नाम सत्य मित्र अंकित है, जब कि मेरा सही नाम सत्य मित्र चौहान है. जो पेन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक एकाउंट, मतदाता परिचय पत्र तथा ड्रायविंग लायसेंस इत्यादि में अंकित है.

अब मेरा नाम उपनाम जोड़कर सत्य मित्र चौहान पुत्र स्व. श्री रण सिंह किया जाना है, क्योंकि अब मुझे सभी लोग सत्य मित्र चौहान के नाम से ही जानते हैं एवं पहचानते हैं.

पुराना नाम :
(सत्य मित्र)
पुत्र-श्री रण सिंह.

(633-बी.)

नया नाम :
(सत्य मित्र चौहान)
पुत्र-स्व. श्री रण सिंह.
म.नं. 197, श्रीराम कॉलोनी, होशंगाबाद रोड,
मिसरोद, भोपाल (म.प्र.).

उप-नाम परिवर्तन

मैं, कुमारी आफरीन कुरैशी पुत्री श्री मोहम्मद फारूख खान सर्व-साधारण को सूचित करती हूँ कि मेरे पूर्व का नाम कुमारी आफरीन कुरैशी था. जोकि मेरे शैक्षणिक प्रमाण-पत्रों में अंकित है. वर्तमान में मैं, आफरीन खान पुत्री श्री मोहम्मद फारूख खान नाम से जानी व पहचानी एवं पुकारी जाती हूँ तथा हस्ताक्षर करती हूँ. आफरीन कुरैशी एवं आफरीन खान मेरे ही नाम है. अतः मेरे शैक्षणिक प्रमाण-पत्रों एवं अन्य प्रपत्रों में मेरा नाम आफरीन खान पुत्री श्री मोहम्मद फारूख खान लिखा, पढ़ा जावे. आमजन एवं सर्वजन सूचित हों.

पुराना नाम :
(आफरीन कुरैशी)

(634-बी.)

नया नाम :
(आफरीन खान)
पुत्री-श्री मोहम्मद फारूख खान,
निवासी-163, सिंधी कॉलोनी, गिर्द,
ग्वालियर (म.प्र.).

आम सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है, कि दिनांक 30-08-2020 से फर्म कैलाश प्रिंटिंग प्रेस 145बी, सेक्टर एच इन्डस्ट्रियल एरिया, गोविन्दपुरा भोपाल के भागीदार क्रमशः श्री मनीष सुहाने, श्रीमती पायल सुहाने उक्त फर्म से रिटायर्ड हुये हैं, जिनका फर्म से अब किसी प्रकार का संबंध नहीं है. फर्म के नाम से किसी प्रकार का संव्यवहार उक्त व्यक्तियों से न किया जावे एवं अगर किया जाता है, फर्म का कोई भी उत्तरदायित्व नहीं होगा.

उक्त परिवर्तन के बाद फर्म में दिनांक 31-08-2020 से अब श्री कैलाश नारायण सुहाने, श्रीमती उमादेवी सुहाने, आशीष सुहाने, श्रीमती श्रद्धा सुहाने कुल 4 भागीदार हैं.

फॉर-कैलाश प्रिंटिंग प्रेस,
कैलाश नारायण सुहाने, उमादेवी सुहाने,
आशीष सुहाने, श्रद्धा सुहाने,
(पार्टनर).

(609-बी.)

NOTICE**U/s. 72 OF THE INDIAN PARTNERSHIP ACT, 1932**

Notice is hereby given that "M/s Synergy Testing House" Bhopal, Reg. No. 01/01/01/00542/12 Dated 26-03-2012 undergone the following changes:-

1. That Mr. Rakesh Kumar Garg S/o Mr. Lalta Prasad Garg and Ms. Geeta Garg W/o Mr. Rakesh Kumar Garg has Joined the Partnership firm .
2. Mr. Navneet Sharma S/o Mr. Omkar Nath and Ms. Madhu Sharma W/o Omkar Nath Sharma has retired from the Partnership firm .

Synergy Testing House,
RAKESH KUMAR GARG,
(Partner)
Bhopal.

(616-B.)

आम सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म M/s. LIFE CURE HEALTH CARE AND HYGIENE ENTERPRISE पता म.नं. B-10/11 श्री हरी, महानन्दा नगर, उज्जैन, जिला उज्जैन (म.प्र.) पंजीयन क्र. 07/33/01/0098/18, दिनांक 27-12-2018 है.

जिसमें दिनांक 01-04-2020 को फर्म का पता म.नं. B-10/11 श्री हरी, महानन्दा नगर, उज्जैन, जिला उज्जैन (म.प्र.) के स्थान पर नवीन पता स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया, मैन ब्रांच के सामने, नगर पालिका मार्केट, दुकान नं.10 टीकमगढ़ (म.प्र.) हो गया है. वर्तमान में इस फर्म का पता स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया, मैन ब्रांच के सामने, नगर पालिका मार्केट, दुकान नं. 10, टीकमगढ़ (म.प्र.) से कार्यरत रहेगी. जिसमें दिनांक 01-04-2020 को (1) श्री अखिलेश तिवारी पिता श्री मथुरा प्रसाद जी तिवारी, निवासी म.न. 32, किर्ती नगर, इन्दौर रोड, उज्जैन (म.प्र.) (2) श्री प्रद्युम्न प्रकाश त्रिवेदी पिता श्री सुरेन्द्र चन्द्र जी त्रिवेदी, निवासी म.नं. 42, प्रियादर्शनी सनखेड़ी, कोलार मार्ग, सनखेड़ी बावडिया कलां, भोपाल (म.प्र.) अपनी-अपनी स्वेच्छा से फर्म से पृथक् हो गये हैं. उक्त दिनांक 01-04-2020 से इस फर्म से उनका कोई लेना देना नहीं है.

वर्तमान में इस फर्म M/s. LIFE CURE HEALTH CARE AND HYGIENE ENTERPRISE में निम्नानुसार भागीदार रह गये हैं.

M/s. LIFE CURE HEALTH CARE AND HYGIENE ENTERPRISES,
(1) स्वतंत्र गंगेले, (2) अमित कुमार, (3) अरविन्द सिंह कुशवाह,
(भागीदार).

(617-बी.)

जाहिर सूचना

एतद् प्रकाशन द्वारा सर्व-साधारण को सूचित/ज्ञात किया जाता है कि मेरे पक्षकार श्री शिवचरण लोवंशी आत्मज स्व. श्री कैलाश लौवंशी आयु लगभग 37 वर्ष, व्यवसाय ड्राईवर निवासी-आर.बी-1/100/सी. रेल्वे कालोनी हबीबगंज, भोपाल का नाम उसके एवं भाइयों के स्वामित्व एवं आधिपत्य की कृषि भूमि के राजस्व अभिलेख (शासकीय अभिलेख) स्थित ग्राम पोलाहा, पटवारी हल्का नं.01, खसरा क्र. 101/01/05/171/1, 272/3 रकबा 1.18, 0.03,028 कुल 1.49 एकड़ रा.नि.म. मंडीदीप, तहसील गौहरगंज, जिला रायसेन में त्रुटिवश अशोक कुमार दर्ज/लेख हो गया है, उक्त अभिलेख में मेरे पक्षकार के अलावा उसके भाई संतोष कुमार एवं नारायणसिंह का नाम भी दर्ज है.

अतएव उक्त शासकीय अभिलेखों में मेरे पक्षकार का नाम शिवचरण लोवंशी के स्थान पर अशोक कुमार दर्ज हो गया है जो कि गलत है, उक्त अभिलेख में अशोक कुमार के स्थान पर शिवचरण लोवंशी लेख/दर्ज किये जाने/सुधार हेतु उक्त प्रकाशन किया जा रहा है।

मेरे पक्षकार का अन्य शासकीय अभिलेखों में शिवचरण लोवंशी नाम है जो कि सत्य एवं सही है। उक्त प्रकाशन यथा योग्य उचित स्थान पर काम आवे।

(624-बी.)

संतोष धोटे,
(अधिवक्ता).

आम सूचना

आम जनता को सूचित किया जाता है कि मेसर्स मेटल प्रोसेसिंग कन्सलटेंट्स, 782, साईकृपा कॉलोनी, इंदौर भागीदारी फर्म जिसका पंजीयन क्रमांक 03/27/01/0162/20, दिनांक 06-11-2020 है। में भागीदार 1. श्री प्रकाश सिंह बग्गा पिता श्री निरंजन सिंह बग्गा, निवासी-201, प्रेसीडेंट रेसीडेंसी 3/5, एम.पी.ई.बी. सबस्टेशन के पास, मनोरमागंज, इन्दौर तथा (2) श्री गयानंद सिंह पिता श्री द्वारिका सिंह, निवासी-ए4, 720, मिलन हाईट्स, अग्रवाल पब्लिक स्कूल के पास, इन्दौर (म.प्र.) दिनांक 07-03-2020 से भागीदारी अधिनियम, 1932 के प्रावधानों के अंतर्गत रिटायर्ड हो गए हैं। दिनांक 07-03-2020 से फर्म में नवीन भागीदार के रूप में 1. श्री पराग शर्मा पिता श्री गिरिजानंदन शर्मा, निवासी- म.न. 125, कम्यूनिटी सेंटर के पास, सेक्टर-21 बी, फरीदाबाद (हरियाणा) तथा 2. श्री पारिजात शर्मा पिता श्री गिरिजा नंदन शर्मा निवासी-104, अनूप नगर, इन्दौर (म.प्र.) को नवीन भागीदार के रूप में सम्मिलित किया गया है। सो सूचित हो। इंदौर दिनांक 2-12-2020.

मेसर्स-मेटल प्रोसेसिंग कन्सलटेंट्स,

गिरिजा नंदन शर्मा,
(भागीदार)

(625-बी.)

782, साईकृपा कॉलोनी, इंदौर.

आम सूचना

सूचित किया जाता है कि फर्म M/s SHREE BALMUKUND DEVELOPERS स्थित House No.37, Near Govt. School, Gram Salaiya, Tehsil Huzur, District- Bhopal (M.P.) जिसका पंजीयन क्र. 01/01/01/00295/09 है। फर्म के पार्टनर Late Shri Radheshyam का देहांत दिनांक 07-02-2017 को हो जाने के कारण भागीदारी फर्म से पृथक हो गए हैं एवं दिनांक 18-12-2020 से फर्म में दो नए भागीदार श्री देवेश पाटीदार एवं श्री मयंक पाटीदार भागीदारी फर्म में सम्मिलित हो रहे हैं।

आमजन एवं सर्वजन सूचित हो.

M/s. SHREE BALMUKUND DEVELOPERS,
SIYA RAM PATIDAR,

(626-बी.)

(Partner).

आम सूचना

सर्व-साधारण की जानकारी हेतु हमारे पक्षकार मैसर्स चिनूक फिनवेस्ट, 25 त्रिपोलिया रोड रतलाम की ओर से प्रकाशित किया जाता है की हमारी पक्षकार फर्म में आठ भागीदार क्रमशः मिलन जैन पिता चम्पालालजी जैन, सुनील जैन पिता चम्पालालजी जैन, श्रीमती किरण जैन पति श्री मिलन जैन, श्रीमती दिपिका जैन पति श्री सुनील जैन, श्री सतबीर सिंह वाधवा पिता श्री हवेलारसिंहजी वाधवा, श्री अमरजीत सिंह वाधवा पिता श्री सतबीर सिंह वाधवा, सरबजीत सिंह वाधवा पिता सतबीर सिंह वाधवा व श्रीमती परमजीत कौर वाधवा पति सतबीर सिंह वाधवा थे, जिनमें चार भागीदार क्रमशः सतबीर सिंह वाधवा, अमरजीत सिंह वाधवा, सरबजीत सिंह वाधवा, श्रीमती परमजीत कौर वाधवा फर्म से रिटायर्ड हो चुके हैं, अब दिनांक 03 अक्टूबर, 2020 से उक्त फर्म में सतबीर सिंह वाधवा, अमरजीत सिंह वाधवा, सरबजीत सिंह वाधवा, श्रीमती परमजीत कौर वाधवा का कोई स्वत्व, हित या अधिकार नहीं रहा है।

उक्त फर्म के नाम से यदि उक्त सतबीर सिंह वाधवा, अमरजीत सिंह वाधवा, सरबजीत सिंह वाधवा, श्रीमती परमजीत कौर वाधवा ने कोई व्यवहार किया हो तो इस प्रकाशन के दिनांक से सात दिन की अवधि में हमारे कार्यालय में मय लिखित प्रमाण के आपत्ति अथवा क्लेम प्रस्तुत करें, अन्यथा नियत अवधि के पश्चात् किसी की किसी प्रकार की कोई आपत्ति अथवा क्लेम मान्य नहीं किया जावेगा, तथा ऐसी स्थिति में उक्त फर्म के शेष भागीदार किसी भी प्रकार से जिम्मेदार नहीं रहेंगे। सूचित हो। दिनांक 15-10-2020

For-M/s Chinook Finvest,
हर्षेन्दु पी. भरगट, राजेश पी. भरगट
(एडवोकेट)

(627-बी.)

70, जैन कॉलोनी, रतलाम.

आम सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मेसर्स श्रीजी इण्डस्ट्रीज, जो वार्ड नं. 44 लश्करी पुरा, ग्राम छौंदा ए.बी. रोड, मुरैना है जिसका पंजीयन क्र. 02/44/01/0206/17 दिनांक 14-11-2017 है, जिसमें दिनांक 08-01-2018 को भागीदार 1. श्री लक्ष्मीकान्त शर्मा पुत्र स्व. श्री तुलाराम शर्मा निवासी- एम.एस. रोड, मुरैना अपनी स्वेच्छा से फर्म से पृथक हो गये हैं एवं दिनांक 11-11-2020 को भागीदार श्री अरविन्द शर्मा पुत्र श्री हरिओम शर्मा निवासी- पुराना बसस्टैंड के पास, मुरैना अपनी स्वेच्छा से फर्म से पृथक हो गये हैं एवं दिनांक 12-11-2020 को श्री पंकज सिंघल पुत्र श्री केशवराज सिंघल निवासी- नगर पालिका भवन के पास, एम.एस. रोड कैलारस, जिला मुरैना फर्म में नवीन भागीदार के रूप में सम्मिलित हो गये हैं। आमजन एवं सर्वजन सूचित हो।

मेसर्स- श्रीजी इण्डस्ट्रीज,

शिवम गोयल,

(भागीदार)

लश्करी पुरा, ग्राम छौंदा, ए.बी. रोड,

मुरैना (म.प्र.).

(628-बी.)

आम सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मेसर्स माँ नर्मदा ट्रेडर्स, पता-1349, विजय नगर जबलपुर है जिसका पंजीयन क्रमांक 04/14/01/0261/16 है जो दिनांक 23/02/2016 को पंजीयत है इस साझेदारी का गठन दिनांक 29-01-2016 को श्री सुजीत जायसवाल और सुमित जायसवाल द्वारा किया गया। इस फर्म में दिनांक 28-03-2016 को श्री गिरीश पाठक, श्री संतोष चौकसे, श्री दुर्गेश सिंह राजपूत फर्म में सम्मिलित किए गए एवं उसी दिनांक को सुमित जायसवाल पिता श्री केशव जायसवाल साझेदारी से पृथक हो रहे हैं तथा दिनांक 29-03-2016 को सुजीत जायसवाल पिता श्री केशव जायसवाल फर्म से पृथक किया गया तथा दिनांक 01-04-2020 को श्री दिव्यान्श राय पिता श्री दिनेश राय को फर्म में साझेदार के रूप में सम्मिलित किया गया, फर्म वर्तमान में श्री गिरीश पाठक, श्री संतोष चौकसे, श्री दुर्गेश सिंह राजपूत, श्री दिव्यान्श राय साझेदारी के रूप में कार्य कर रहे हैं फर्म का पुराना पता बदलकर नया पता- NH 7 वार्ड क्रमांक-4 लखनादौन, जिला सिवनी, मध्यप्रदेश है। इस सभी साझेदारों के फार्म नं. 05 संलग्न हैं।

मेसर्स- माँ नर्मदा ट्रेडर्स,

गिरीश पाठक,

(भागीदार).

(629-बी.)

जाहिर सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मेसर्स नवीनचंद्र एंड कम्पनी, टंकी चौराहा, शाजापुर जिसके भागीदार राजकुमार पिता श्री विष्णु भाई पटेल एवं श्रीमती दीप्ति पटेल पति श्री कौशिक पटेल हैं। इस फर्म का विघटन दिनांक 31-12-2020 को कर दिया गया है।

M/s Navinchandra & Co.,

RAJU KUMAR PATEL,

(Partner)

Bharat Petroleum, Corporation

A.B. Road, Shajapur (M.P.).

(635-बी.)

विविध

न्यायालयों की सूचनाएं

न्यायालय, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं रजिस्ट्रार पब्लिक ट्रस्ट, परगना व जिला-भिण्ड

प्र.क्र.0002/2020-21/बी-113(ट्रस्ट गठन).

भिण्ड, दिनांक 13 जनवरी, 2020

फार्म-4

[नियम (1) देखिए]

[मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट अधिनियम, 1951 की धारा-5(1) के अन्तर्गत]

जैसा कि श्री सुभाष जैन पुत्र श्रीपाल जैन, निवासी वार्ड नम्बर 07 गोरमी, जिला भिण्ड द्वारा (श्री दिगम्बर जैन अतिशय क्षेत्र साधर्मी वात्सल्य ट्रस्ट ग्राम पावई) के नाम से ट्रस्ट गठन किये जाने हेतु आवेदन-पत्र मय सहपत्रों के पेश किया गया।

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त आवेदन मेरे द्वारा दिनांक 24 फरवरी, 2021 को विचार में लिया जावेगा। कोई भी व्यक्ति जो उक्त ट्रस्ट में या सम्पत्ति में हित रखता हो और कोई आपत्ति या सुझाव देना चाहता हो, लिखित में दो प्रतियों में इस सूचना के प्रकाशन के एक माह में माध्यम से अभिकर्ता या स्वयं मेरे समक्ष उपस्थित होकर अपनी लिखित आपत्तियां प्रस्तुत कर सकता है, उपर्युक्त अवधि समाप्त के पश्चात् प्राप्त आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

अनुसूची

1. ट्रस्ट का नाम	:	श्री दिगम्बर जैन अतिशय क्षेत्र साधर्मी वात्सल्य ट्रस्ट, ग्राम पावई, जिला भिण्ड.
2. चल संपत्ति	:	1,21,121.00 रुपये.
3. अचल संपत्ति	:	निरंक.

(37)

उदयसिंह सिकरवार,
अनुविभागीय अधिकारी राजस्व.

न्यायालय, पंजीयक लोक न्यास एवं अनुविभागीय अधिकारी उप-खण्ड, मंदसौर, जिला मंदसौर

प्र.क्र. /2020-21.

नियम-चार

[नियम 5 (1) देखिये]

[मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) की धारा-5 की उपधारा (2) और
मध्यप्रदेश लोक न्यास नियम, 1962 का नियम-5 (1) देखिए]

पंजीयक, लोक न्यास मंदसौर, जिला मंदसौर के समक्ष.

चूंकि डॉ. एस. एम. जैन, निवासी नयापुरा रोड लक्कडपीठा मंदसौर द्वारा सन्मति दिगम्बर जैन न्यास, तहसील मंदसौर ने मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) की धारा-4 के अधीन अनुसूची में लोक न्यास की तरह विनिर्दिष्ट की गई सम्पत्ति के पंजीयन के लिये आवेदन किया है. एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि आवेदन मेरे न्यायालय में दिनांक 05 फरवरी, 2021 को विचार के लिये लिया जावेगा.

कोई व्यक्ति जो उक्त न्यास या सम्पत्ति में हित रखता हो और उसके बारे में की आपत्ति करने या सुझाव देने का विचार रखता हो उसे इस सूचना लोक न्यास है और उसका गठन करता/करती है.

अतः मैं, वीरप्रताप सिंह पंजीयक, लोक न्यास मंदसौर, जिला मंदसौर का लोक न्यासों का पंजीयक अपने न्यायालय में दिनांक 06 जनवरी, 2021 को उक्त अधिनियम की धारा-5 की उपधारा(1) के द्वारा अपेक्षित जांच करना प्रस्तावित करता हूँ. अतः एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त न्यास या सम्पत्ति का कोई न्यासधारी या कार्यकारी न्यासधारी उसमें हित रखने वाले और किसी आपत्ति या सुझाव प्रस्तुत करने का विचार रखने वाले व्यक्ति को इस सूचना के प्रकाशन के दिनांक से एक माह के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत करें और कोर्ट में मेरे समक्ष उपरोक्त दिनांक को या व्यक्तिशः अभिभाषक के द्वारा उपस्थित होना चाहिये. उपरोक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात् प्राप्त आपत्तियों को विचार के लिये ग्रहण नहीं किया जाएगा.

संपत्ति का विवरण

लोक न्यास का नाम	:	सन्मति दिगम्बर जैन न्यास ट्रस्ट.
(अ) अचल सम्पत्ति	:	-
(ब) चल सम्पत्ति	:	-

(38)

प्र.क्र. /2020-21.

नियम-चार

[नियम 5 (1) देखिये]

[मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) की धारा-5 की उपधारा (2) और
मध्यप्रदेश लोक न्यास नियम, 1962 का नियम-5 (1) देखिए]

पंजीयक, लोक न्यास मंदसौर, जिला मंदसौर के समक्ष.

चूंकि प्रतापसिंह पिता तखतसिंह, निवासी धारियाखेडी, तहसील मंदसौर द्वारा खेडापति बालाजी मंदिर न्यास रलायता, तहसील मंदसौर ने मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) की धारा-4 के अधीन अनुसूची में लोक न्यास की तरह विनिर्दिष्ट की गई सम्पत्ति के पंजीयन के लिये आवेदन किया है. एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि आवेदन मेरे न्यायालय में दिनांक 08 फरवरी, 2021 को विचार के लिये लिया जावेगा.

कोई व्यक्ति जो उक्त न्यास या सम्पत्ति में हित रखता हो और उसके बारे में की आपत्ति करने या सुझाव देने का विचार रखता हो उसे इस सूचना लोक न्यास है और उसका गठन करता/करती है.

अतः मैं, वीरप्रताप सिंह पंजीयक, लोक न्यास मंदसौर, जिला मंदसौर का लोक न्यासों का पंजीयक अपने न्यायालय में दिनांक 06 जनवरी, 2021 को उक्त अधिनियम की धारा-5 की उपधारा(1) के द्वारा अपेक्षित जांच करना प्रस्तावित करता हूँ. अतः एतद्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त न्यास या सम्पत्ति का कोई न्यासधारी या कार्यकारी न्यासधारी उसमें हित रखने वाले और किसी आपत्ति या सुझाव प्रस्तुत करने का विचार रखने वाले व्यक्ति को इस सूचना के प्रकाशन के दिनांक से एक माह के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत करें और कोर्ट में मेरे समक्ष उपरोक्त दिनांक को या व्यक्तिशः अभिभाषक के द्वारा उपस्थित होना चाहिये. उपरोक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात् प्राप्त आपत्तियों को विचार के लिये ग्रहण नहीं किया जाएगा.

संपत्ति का विवरण

लोक न्यास का नाम	: खेडापति बालाजी मंदिर न्यास रलायता, ट्रस्ट.
(अ) अचल सम्पत्ति	: ग्राम रलायता में स्थित होकर सर्वे नं. 169 पे रकबा 0.11 एवं सर्वे नं. 179 रकबा 0.11 हे. कुल रकबा 0.22 हे.
(ब) चल सम्पत्ति	: निरंक.

(39)

प्र.क्र.बी-113(4)/2020-21.

नियम-चार

[नियम 5 (1) देखिये]

[मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) की धारा-5 की उपधारा (2) और

मध्यप्रदेश लोक न्यास नियम, 1962 का नियम-5 (1) देखिए]

पंजीयक, लोक न्यास मंदसौर, जिला मंदसौर के समक्ष.

चूँकि शिवसाधना सेवालियम लोक न्यास माल्याखेरखेडा द्वारा मुकेश आंजना पिता हीरालाल आंजना अध्यक्ष एवं पायल पिता देवीलाल आंजना सचिव, निवासी माल्याखेरखेडा ने मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) की धारा-4 के अधीन अनुसूची ने लोक न्यास की तरह विनिर्दिष्ट की गई सम्पत्ति के पंजीयन के लिये आवेदन किया है. एतद्वारा सूचना दी जाती है कि आवेदन मेरे न्यायालय में दिनांक 08 फरवरी, 2021 को विचार के लिये लिया जावेगा.

कोई व्यक्ति जो उक्त न्यास या सम्पत्ति में हित रखता हो और उसके बारे में की आपत्ति करने या सुझाव देने का विचार रखता हो उसे इस सूचना लोक न्यास है और उसका गठन करता/करती है.

अतः मैं, वीरप्रताप सिंह पंजीयक, लोक न्यास मंदसौर, जिला मंदसौर का लोक न्यासों का पंजीयक अपने न्यायालय में दिनांक 07 जनवरी, 2021 को उक्त अधिनियम की धारा-5 की उपधारा(1) के द्वारा अपेक्षित जांच करना प्रस्तावित करता हूँ. अतः एतद्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त न्यास या सम्पत्ति का कोई न्यासधारी या कार्यकारी न्यासधारी उसमें हित रखने वाले और किसी आपत्ति या सुझाव प्रस्तुत करने का विचार रखने वाले व्यक्ति को इस सूचना के प्रकाशन के दिनांक से एक माह के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत करें और कोर्ट में मेरे समक्ष उपरोक्त दिनांक को या व्यक्तिशः अभिभाषक के द्वारा उपस्थित होना चाहिये. उपरोक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात् प्राप्त आपत्तियों को विचार के लिये ग्रहण नहीं किया जाएगा.

संपत्ति का विवरण

लोक न्यास का नाम	: शिवसाधना सेवालियम लोक न्यास माल्याखेरखेडा.
(अ) अचल सम्पत्ति	: ग्राम माल्याखेरखेडा की भूमि सर्वे क्रमांक 607 रकबा 0.2. हे.
(ब) चल सम्पत्ति	: निरंक.

(40)

प्र.क्र. /2020-21.

नियम-चार

[नियम 5 (1) देखिये]

[मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) की धारा-5 की उपधारा (2) और

मध्यप्रदेश लोक न्यास नियम, 1962 का नियम-5 (1) देखिए]

पंजीयक, लोक न्यास मंदसौर, जिला मंदसौर के समक्ष.

चूँकि अध्यक्ष श्री सत्यनारायण पिता रामकुंवर सोमानी सचिव श्री नंदकिशोर पिता वरदीचंद्र सोमानी श्रीहीराचंद सोमानी स्मृति न्यास ट्रस्ट

ने मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) की धारा-4 के अधीन अनुसूची में लोक न्यास की तरह विनिर्दिष्ट की गई सम्पत्ति के पंजीयन के लिये आवेदन किया है। एतद्वारा सूचना दी जाती है कि आवेदन मेरे न्यायालय में दिनांक 08 फरवरी, 2021 को विचार के लिये लिया जावेगा।

कोई व्यक्ति जो उक्त न्यास या सम्पत्ति में हित रखता हो और उसके बारे में की आपत्ति करने या सुझाव देने का विचार रखता हो उसे इस सूचना लोक न्यास है और उसका गठन करता/करती है।

अतः मैं, वीरप्रताप सिंह पंजीयक, लोक न्यास मंदसौर, जिला मंदसौर का लोक न्यासों का पंजीयक अपने न्यायालय में दिनांक 06 जनवरी, 2021 को उक्त अधिनियम की धारा-5 की उपधारा(1) के द्वारा अपेक्षित जांच करना प्रस्तावित करता हूँ। अतः एतद्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त न्यास या सम्पत्ति का कोई न्यासधारी या कार्यकारी न्यासधारी उसमें हित रखने वाले और किसी आपत्ति या सुझाव प्रस्तुत करने का विचार रखने वाले व्यक्ति को इस सूचना के प्रकाशन के दिनांक से एक माह के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत करें और कोर्ट में मेरे समक्ष उपरोक्त दिनांक को या व्यक्तिशः अभिभाषक के द्वारा उपस्थित होना चाहिये। उपरोक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात् प्राप्त आपत्तियों को विचार के लिये ग्रहण नहीं किया जाएगा।

संपत्ति का विवरण

लोक न्यास का नाम	:	श्रीहीराचंद सोमानी स्मृति न्यास ट्रस्ट.
(अ) अचल सम्पत्ति	:	-
(ब) चल सम्पत्ति	:	-

(42)

प्र.क्र.बी-113(4)/2020-21.

नियम-चार

[नियम 5 (1) देखिये]

[मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) की धारा-5 की उपधारा (2) और

मध्यप्रदेश लोक न्यास नियम, 1962 का नियम-5 (1) देखिए]

पंजीयक, लोक न्यास मंदसौर, जिला मंदसौर के **समक्ष**.

चूँकि फैजाने मदीना ट्रस्ट मध्यप्रदेश द्वारा मोहम्मद यासीन पिता अब्दुल सत्तार, निवासी किला दरवाजा मर्दादीन मोहल्ला, मंदसौर ने मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) की धारा-4 के अधीन अनुसूची में लोक न्यास की तरह विनिर्दिष्ट की गई सम्पत्ति के पंजीयन के लिये आवेदन किया है। एतद्वारा सूचना दी जाती है कि आवेदन मेरे न्यायालय में दिनांक 08 फरवरी, 2021 को विचार के लिये लिया जावेगा।

कोई व्यक्ति जो उक्त न्यास या सम्पत्ति में हित रखता हो और उसके बारे में की आपत्ति करने या सुझाव देने का विचार रखता हो उसे इस सूचना लोक न्यास है और उसका गठन करता/करती है।

अतः मैं, वीरप्रताप सिंह पंजीयक, लोक न्यास मंदसौर, जिला मंदसौर का लोक न्यासों का पंजीयक अपने न्यायालय में दिनांक 07 जनवरी, 2021 को उक्त अधिनियम की धारा-5 की उपधारा(1) के द्वारा अपेक्षित जांच करना प्रस्तावित करता हूँ। अतः एतद्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त न्यास या सम्पत्ति का कोई न्यासधारी या कार्यकारी न्यासधारी उसमें हित रखने वाले और किसी आपत्ति या सुझाव प्रस्तुत करने का विचार रखने वाले व्यक्ति को इस सूचना के प्रकाशन के दिनांक से एक माह के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत करें और कोर्ट में मेरे समक्ष उपरोक्त दिनांक को या व्यक्तिशः अभिभाषक के द्वारा उपस्थित होना चाहिये। उपरोक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात् प्राप्त आपत्तियों को विचार के लिये ग्रहण नहीं किया जाएगा।

संपत्ति का विवरण

लोक न्यास का नाम	:	फैजाने मदीना ट्रस्ट मध्यप्रदेश.
(अ) अचल सम्पत्ति	:	निरंक.
(ब) चल सम्पत्ति	:	निरंक.

(43)

वीरप्रताप सिंह,
अनुविभागीय अधिकारी (उपखण्ड).

कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी एवं पंजीयक लोक न्यास जूनी इन्दौर क्षेत्र, जिला-इन्दौर

जूनी इन्दौर, दिनांक 23 दिसम्बर, 2020

फार्म-चार

[मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, 1951 (तीस) (95) की धारा-5 (2) व मध्यप्रदेश ट्रस्ट नियम-1963, नियम-5 (1) के अन्तर्गत]

क्र./1191/री.-1/2020.—“मेहता चेरिटेबल ट्रस्ट इन्दौर”, पता-104, नवनीत प्लाजा 5/2, ओल्ड पलास्या, इन्दौर की ओर से आवेदक द्वारा पब्लिक ट्रस्ट एक्ट की धारा-04 के अन्तर्गत पब्लिक ट्रस्ट के पंजीयन हेतु आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया है।

अतः सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि, कोई भी व्यक्ति उक्त ट्रस्ट एवं उसकी सम्पत्ति जिसका विवरण नीचे परिशिष्ट में दिया गया है, के संबंध में आपत्ति अथवा दावा पेश करना चाहे तो वह नोटिस के राजपत्र में प्रकाशन की दिनांक से एक माह अर्थात् (30 दिन) के अंदर इस न्यायालय में न्यायालयीन दिवस एवं समय में स्वयं या अभिभाषक अथवा अधिकृत मुख्त्यार के माध्यम से आपत्ति दो प्रति में प्रस्तुत कर सकते हैं अथवा पंजीकृत डाक द्वारा भी प्रेषित कर सकते हैं। निश्चित अवधि के उपरांत प्राप्त आपत्तियों/दावों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

परिशिष्ट

(पब्लिक ट्रस्ट का नाम और पता एवं अचल-चल सम्पत्ति का विवरण)

ट्रस्ट का नाम	:	“मेहता चेरिटेबल ट्रस्ट इन्दौर”.
पता	:	104, नवनीत प्लाजा 5/2, ओल्ड पलास्या, इन्दौर.
अचल सम्पत्ति	:	निरंक.
चल सम्पत्ति	:	रु. 1,00,000/- (अक्षरी एक लाख मात्र).

आज दिनांक.....को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालयीन की मुद्रा से प्रसारित किया गया।

(44)

जूनी इन्दौर, दिनांक 23 दिसम्बर, 2020

फार्म-चार

[मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, 1951 (तीस) (95) की धारा-5 (2) व मध्यप्रदेश ट्रस्ट नियम-1963, नियम-5 (1) के अन्तर्गत]

क्र./1192/री.-1/2020.—“इंदिरा नवल चेरिटेबल ट्रस्ट इन्दौर”, पता-104, नवनीत प्लाजा 5/2, ओल्ड पलास्या, इन्दौर की ओर से आवेदक द्वारा पब्लिक ट्रस्ट एक्ट की धारा-4 के अन्तर्गत पब्लिक ट्रस्ट के पंजीयन हेतु आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया है।

अतः सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि, कोई भी व्यक्ति उक्त ट्रस्ट एवं उसकी सम्पत्ति जिसका विवरण नीचे परिशिष्ट में दिया गया है, के संबंध में आपत्ति अथवा दावा पेश करना चाहे तो वह नोटिस के राजपत्र में प्रकाशन की दिनांक से एक माह अर्थात् (30 दिन) के अंदर इस न्यायालय में न्यायालयीन दिवस एवं समय में स्वयं या अभिभाषक अथवा अधिकृत मुख्त्यार के माध्यम से आपत्ति दो प्रति में प्रस्तुत कर सकते हैं अथवा पंजीकृत डाक द्वारा भी प्रेषित कर सकते हैं। निश्चित अवधि के उपरांत प्राप्त आपत्तियों/दावों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

परिशिष्ट

(पब्लिक ट्रस्ट का नाम और पता एवं अचल-चल सम्पत्ति का विवरण)

ट्रस्ट का नाम	:	“इंदिरा नवल चेरिटेबल ट्रस्ट इन्दौर”.
पता	:	104, नवनीत प्लाजा 5/2, ओल्ड पलास्या, इन्दौर.
अचल सम्पत्ति	:	निरंक.
चल सम्पत्ति	:	रु. 1,00,000/- (अक्षरी एक लाख मात्र).

आज दिनांक.....को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालयीन की मुद्रा से प्रसारित किया गया।

(45)

अंशुल खरे,

अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व).

कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं लोक न्यास पंजीयक, जिला डिण्डौरी

[नियम 5 (1) देखें]

प्रारूप-4

[मध्यप्रदेश छत्तीसगढ़ लोक न्यास अधिनियम, 1951 की धारा-5(2) (1951 का 30) और

मध्यप्रदेश/छत्तीसगढ़ लोक न्यास नियम, 1962 के नियम-5(1) के द्वारा]

लोक न्यासों के पंजीयक डिण्डौरी, जिला डिण्डौरी के समक्ष श्री प्रवेश कुमार कनोजे (अध्यक्ष) पुत्र श्री शांति कुमार कनोजे, निवासी वार्ड क्रमांक 5 डिण्डौरी, तहसील व जिला डिण्डौरी ने मध्यप्रदेश/छत्तीसगढ़ लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) की धारा-4 के अन्तर्गत अनुसूची में विनिर्दिष्ट संपत्ति के लिये श्री राधाकृष्ण मंदिर सर्वराहकार ट्रस्ट, डिण्डौरी के सार्वजनिक न्यास पंजीयन हेतु आवेदन लोक न्यास के रूप में पंजीकृत किये जाने के लिये किया है, एतद्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त आवेदन 2021 के दिनांक 05 फरवरी, 2021 पर मेरे द्वारा न्यायालय में विचारण में लिया जाएगा।

अतः मैं, जिला डिण्डौरी के लोक न्यासों का रजिस्ट्रार अपने न्यायालय में दिनांक.....2021 को उक्त अधिनियम की धारा(1) के द्वारा आपेक्षित जांच करने की प्रस्थापना करता हूँ।

किसी आपत्ति (या सुझाव) को करने का आशय रखते हुये उक्त न्यास या संपत्ति के मामले में हित रखने वाले किसी भी व्यक्ति को इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से एक माह के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत करना चाहिए और मेरे समक्ष उपरोक्त तारीख पर या तो व्यक्तिगत अथवा वकील द्वारा या अभिकर्ता के माध्यम से उपस्थित होना चाहिए, उपरोक्त अवधि के अवसान के उपरान्त प्राप्त आपत्तियों को विचार में नहीं लिया जाएगा।

महेश मण्डलोई,

रजिस्ट्रार.

(46)

कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी एवं रजिस्ट्रार, पब्लिक ट्रस्ट, तहसील कोलार, जिला-भोपाल

प्र.क्र.006/बी-113/2020-21.

[मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट अधिनियम, 1951 की धारा-5(1) पब्लिक ट्रस्ट अधिनियम, 1952 के नियम-5 (1) के अन्तर्गत]

जैसा कि “कस्तुरी देवी रामकुमार माथुर वैश्य न्यास” द्वारा श्री अनिल गुप्ता आत्मज स्व. श्री एल. एन. गुप्ता, प्रबंधक ट्रस्टी भोपाल, निवासी ई-1/55, अरेरा कॉलोनी, भोपाल की ओर से मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट अधिनियम 1951 की धारा-4 के अन्तर्गत अनुसूची में दर्शाई गई सम्पत्ति के पब्लिक ट्रस्ट में नवीन ट्रस्टियों/न्यासियों को जोड़े जाने हेतु आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया है।

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त आवेदन मेरे न्यायालय में मेरे द्वारा 04 फरवरी, 2021 को विचार में लिया जावेगा. कोई भी व्यक्ति जो उक्त ट्रस्ट में या सम्पत्ति में हित रखता हो या कोई आपत्ति या सुझाव देना चाहता हो, लिखित में दो प्रतियों में इस सूचना के प्रकाशन के “ एक माह ” के भीतर प्रस्तुत करें अथवा उक्त दिनांक को मेरे समक्ष स्वयं अथवा अभिभाषक के माध्यम से या अभिकर्ता के माध्यम से उपस्थित होकर अपनी लिखित आपत्तियाँ प्रस्तुत कर सकता है. उपर्युक्त अवधि समाप्ति के पश्चात् प्राप्त आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा.

अनुसूची

1. ट्रस्ट का नाम व पता : “कस्तुरी देवी रामकुमार माथुर वैश्य न्यास” द्वारा श्री अनिल गुप्ता आत्मज स्व. श्री एल. एन. गुप्ता, प्रबंधक ट्रस्टी भोपाल, निवासी ई-1/55, अरेरा कॉलोनी, भोपाल.
2. नवीन ट्रस्टियों/न्यासियों जिनके नाम जोड़े जाने हैं.

स.क्र.	नाम	उम्र	पता
1.	किशोर गुप्ता आत्मज एल. एन. गुप्ता	60	ई-1/207, अरेरा कॉलोनी, भोपाल.
2.	मयंक गुप्ता आत्मज किशोर गुप्ता	32	ई-1/207, अरेरा कॉलोनी, भोपाल.
3.	श्रीमती अर्चना गुप्ता पति श्री राकेश गुप्ता	46	ई-1/161, अरेरा कॉलोनी, भोपाल.
4.	श्रीमती रेणु गुप्ता पति श्री अनिल गुप्ता	47	ई-1/60, अरेरा कॉलोनी, भोपाल.

आज दिनांक.....2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मोहर से जारी किया गया.

राजेश गुप्ता,

रजिस्ट्रार.

(47)

अन्य सूचनाएं

कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, दक्षिण वनमण्डल, शहडोल

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण:-

परिक्षेत्र बुढ़ार के बीट बेम्हौरी में वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत व्यपवर्तित वन भूमि कक्ष क्रमांक आरएफ 835, 836, 837 रकबा 166.920 हे. के विदोहन हेतु पासिंग हैमर क्रमांक/एस.एस.-86 प्रदाय किया गया था. परिक्षेत्र अधिकारी बुढ़ार ने अपने पत्र क्रमांक/849, दिनांक 27 अप्रैल, 2020 से लेखकर सूचित किया गया है कि उक्त हैमर परिक्षेत्र सहायक पटना श्री पराग सिंह धुर्वे वनपाल को प्रदाय किया गया था. उक्त कृत्य के लिए श्री धुर्वे वनपाल एवं श्री रामसिया कोल बीटगार्ड बेम्हौरी को कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया जाकर 07 दिवस के अन्दर बचाव उत्तर चाहा गया था. श्री धुर्वे वनपाल द्वारा अपने बचाव उत्तर में लेख किया है कि उक्त हैमर मेरे द्वारा श्री रामसिया कोल बीट गार्ड बेम्हौरी को दिया गया था. श्री रामसिया कोल बीट गार्ड बेम्हौरी की दिनांक 21 दिसम्बर, 2020 को मृत्यु हो गयी है. गुम हैमर की कॉफी खोजबीन की गई परन्तु हैमर का पता नहीं लग पाया जिसकी सूचना परिक्षेत्र सहायक पटना द्वारा परिक्षेत्र कार्यालय बुढ़ार में दी गई तथा दिनांक 27 अप्रैल, 2020 को थाना प्रभारी थाना धनपुरी में हैमर गुमने की सूचना/रिपोर्ट दर्ज कराई गई. परिक्षेत्र सहायक पटना द्वारा परिक्षेत्राधिकारी बुढ़ार के पत्र क्रमांक/1035, दिनांक 05 सितम्बर, 2020 से उप-वनमण्डलाधिकारी, जैतपुर के माध्यम से बचाव उत्तर प्रस्तुत किया गया है. उप-वनमण्डलाधिकारी, जैतपुर ने अपने पत्र क्रमांक/2604, दिनांक 16 दिसम्बर, 2020 से श्री पराग सिंह धुर्वे वनपाल परिक्षेत्र सहायक पटना के बचाव उत्तर से सहमत होते हुये गुम हैमर की शासकीय कीमत वसूल कर प्रकरण समाप्त करने हेतु अभिमत/अनुशंसा की गई है.

अतः उक्त हैमर न मिलने के स्थिति में यह ओदश देता हूँ कि:-

आदेश

शहडोल, दिनांक 05 जनवरी, 2021

आ.क्र./स्था./07/वनवित्तीय नियम की धारा-124 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये निम्नांकित हैमर को अपलेखित किया जाता है, तथा श्री पराग सिंह, वनपाल वन परिक्षेत्र सहायक पटना से उक्त हैमर का मूल्य रु. 500.00 (रुपये पाँच सौ) मात्र एक मुश्त उनके वेतन से वूसली के आदेश जारी करते हुये वन वित्तीय नियम की धारा-124 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग कर शासकीय अभिलेख से अपलेखित किया जाता है.

SS
86

श्री पराग सिंह, वनपाल वन परिक्षेत्र सहायक पटना को शासकीय कार्य में लापरवाही बरतने के फलस्वरूप मध्यप्रदेश वर्गीकरण (नियंत्रण एवं अपील) नियम-1966 के तहत भविष्य के लिए सचेत किया जाता है एवं सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को निम्नांकित हैमर मिलता है तो उसे निकटतम थाने या वन विभाग के किसी भी कार्यालय में जमा कर दें. इस विज्ञप्ति के अनुसार यदि कोई व्यक्ति द्वारा निम्नांकित आकृति के हैमर को अनाधिकृत रूप से रखने या प्रयोग में लाते हुये पाया गया तो उसके विरुद्ध नियमानुसार दण्डिक कार्यवाही की जावेगी तथा भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा-63 के प्रावधानों के अंतर्गत दण्ड का भागी होगा.

नेहा श्रीवास्तव,
वनमण्डलाधिकारी.

(48)

कार्यालय, परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक सहकारी संस्थाएं, मर्या., विदिशा

विदिशा, दिनांक 28 दिसम्बर, 2020

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के उपनियम-57(ग) के अंतर्गत]

क्र./परि./2020/क्यू-निम्नलिखित संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर मुझे 70(1) अंतर्गत परिसमापक नियुक्त किया गया है:-

क्र.	परिसमापित संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक	परिसमापन आदेश क्रमांक एवं दिनांक
1	2	3	4
1.	टेलीफोन विभागीय कर्मचारी सहकारी संस्था मर्या., विदिशा	269/06-12-1985	899/10-09-2013

अतः मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम 57(ग) के अंतर्गत उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना प्रकाशन के दिनांक से 02 माह के अंदर मय साक्ष्य के यदि कोई हो,

तो मुझे कार्यालय उप-पंजीयक सहकारी संस्थाएँ, विदिशा में उपस्थित होकर लिखितरूप से सप्रमाण प्रस्तुत करें, त्रुटि की दशा में किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के लिये संबंधित दावेदार स्वयं दायित्वाधीन होंगे, यदि 02 माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा मान्य नहीं किया जावेगा. तथा संस्था की लेखापुस्तकों में संबंध लेखबद्ध दायित्व मुझे स्वमेव प्रस्तुत किये गये समझे जायेंगे.

आज दिनांक 28 दिसम्बर, 2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

एम. एस. भदौरिया,

(49)

परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक.

कार्यालय, परिसमापक एवं वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक सहकारी संस्थाएं, जिला विदिशा

विदिशा, दिनांक 06 जनवरी, 2021

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के उपनियम-57(ग) के अंतर्गत]

क्र./परि./2020-21/क्यू—निम्नलिखित संस्थाओं को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर मुझे 70(1) अंतर्गत परिसमापक नियुक्त किया गया है:-

क्र.	परिसमापित संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक	परिसमापन आदेश क्रमांक एवं दिनांक
1.	लक्ष्मी क्षेत्रीय स्व-सहायता समूह विकास सहकारी संस्था मर्या., गंजबासौदा	765/21-10-2010	280/22-03-2019
2.	मित्र साख सहकारी संस्था मर्या., गंजबासौदा	1024/24-09-2015	281/22-03-2019
3.	संचय समाधान साख सहकारी संस्था मर्या., गंजबासौदा	1060/30-01-2017	282/22-03-2019

अतः मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएँ नियम, 1962 के नियम 57(ग) के अंतर्गत उक्त संस्थाओं के समस्त दावेदारों को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि संस्थाओं के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना प्रकाशन के दिनांक से 02 माह के अंदर मय साक्ष्य के यदि कोई हो, तो मुझे कार्यालय उप-पंजीयक सहकारी संस्थाएँ, विदिशा में उपस्थित होकर लिखितरूप से सप्रमाण प्रस्तुत करें, त्रुटि की दशा में किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के लिये संबंधित दावेदार स्वयं दायित्वाधीन होंगे, यदि 02 माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा मान्य नहीं किया जावेगा. तथा संस्था की लेखापुस्तकों में संबंध लेखबद्ध दायित्व मुझे स्वमेव प्रस्तुत किये गये समझे जायेंगे.

आज दिनांक 06 जनवरी, 2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

रामसिंह,

(50)

व.स.नि. सहकारिता.

कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला विदिशा

विदिशा, दिनांक 29 दिसम्बर, 2020

क्र./परि./2020/1501.—इस कार्यालय के आदेश क्र/परिसमापन/2016/725, विदिशा, दिनांक 30 मई, 2016 से दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., बाबुलखेड़ी, तहसील सिरोंज, जिला विदिशा जिसका पंजीयन क्र./डी.आर./व्ही.डी.एस./684, दिनांक 12 मई, 2004 को परिसमापन में लाया जाकर श्री अनिल कुमार सक्सेना, उप-अंकेक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

समापक दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., बाबुलखेड़ी, तहसील सिरोंज, जिला विदिशा की परिसमापन की कार्यवाही पूर्ण कर संस्था का अंतिम प्रतिवेदन संस्था का पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा के साथ प्रस्तुत किया गया है.

मैं, समापक के द्वारा की गई कार्यवाही का अवलोकन करने के पश्चात् इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है.

अतः मैं, के. के. द्विवेदी, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला विदिशा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र. एफ 5-1-99-एक-पन्द्रह-1 सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., बाबुलखेड़ी, तहसील सिरोंज, जिला विदिशा जिसका पंजीयन क्र./डी.आर./व्ही.डी.एस./684, दिनांक 12 मई, 2004 का पंजीयन निरस्त करते हुए उसका निगम निकाय (बॉडी कार्पोरेट) इस आदेश दिनांक को समाप्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 29 दिसम्बर, 2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

के. के. द्विवेदी,

(51)

उप-पंजीयक.

कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जबलपुर

जबलपुर, दिनांक 26 नवम्बर, 2020

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(1) के अंतर्गत]

क्र./उपज./परि./2020/2355.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक/उपज./परि./2796, दिनांक 26 नवम्बर, 2015 के द्वारा राधाकृष्ण बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., बंदरकोला सगड़ा, वि.खण्ड जबलपुर, जिला जबलपुर पंजीयन क्रमांक 2113 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन के अधीन लाया जाकर धारा-70 के अंतर्गत परिसमापक की नियुक्ति की गई थी. संस्था के वर्तमान परिसमापक श्री राजेन्द्र यादव, सहकारी निरीक्षक द्वारा संस्था के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न की जाकर पंजीयन निरस्त करने हेतु अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. संस्था के देनदारी-लेनदारी के शून्य स्थिति विवरण पत्रक का अंकक्षण, सहायक आयुक्त(अंकक्षण) सहकारिता जबलपुर से कराये जाने के उपरांत परिसमापक के अन्तिम प्रतिवेदन एवं लेनदारी-देनदारी का समस्त निपटारा हो जाने के आधार पर संस्था के अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं होने से संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना आवश्यक हो गया है.

अतः मैं, शिवम् मिश्रा, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जबलपुर, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-2-2010 पन्ना-1 सी, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए राधाकृष्ण बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., बंदरकोला सगड़ा, वि.खण्ड जबलपुर, जिला जबलपुर पंजीयन क्रमांक 2113 का पंजीयन निरस्त करता हूँ. संस्था इस आदेश की तारीख से विघटित समझी जावेगी एवं निगमित निकाय के रूप में विद्यमान नहीं रहेगी.

यह आदेश आज दिनांक 26 नवम्बर, 2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

शिवम् मिश्रा,
उप-पंजीयक.

(52)

कार्यालय डिप्टी रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला नरसिंहपुर

नरसिंहपुर, दिनांक 12 जनवरी, 2021

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम की धारा-18(ए) के अंतर्गत]

संचालक मण्डल

- | | | |
|-----|--------------------------|-----------|
| 1. | श्री भगवान सिंह लोधी, | अध्यक्ष |
| 2. | श्री महेन्द्र सिंह लोधी, | उपाध्यक्ष |
| 3. | श्री दरयाब सिंह लोधी, | सचिव |
| 4. | श्री परषोत्तम लोधी, | सदस्य |
| 5. | श्री मुकेश लोधी, | सदस्य |
| 6. | श्री अभिषेक अग्रवाल, | सदस्य |
| 7. | श्री राजेन्द्र लोधी, | सदस्य |
| 8. | श्री रामसिंह लोधी, | सदस्य |
| 9. | श्री हरिचरण नोरिया, | सदस्य |
| 10. | श्री टीकानाम लोधी, | सदस्य |
| 11. | श्री हेमराज नोरिया, | सदस्य |

नर्मदा वृक्षारोपण सहकारी समिति मर्या., रमपुरा (केरपानी) पंजीयन क्रमांक-798

पता- मुकाम-रमपुरा, पोस्ट केरपानी, तहसील करेली, जिला नरसिंहपुर.

क्र./उपन./परि./2021/29.—जरिये एतद् सूचना-पत्र द्वारा सूचित किया जाता है कि नर्मदा वृक्षारोपण सहकारी समिति मर्या, रमपुरा (केरपानी) पंजीयन क्रमांक 798 द्वारा दिनांक 30 सितम्बर, 2020 को समिति की बैठक आहूत की गयी. उक्त बैठक में समिति के सभी सदस्यों

द्वारा सर्वसम्मति से समिति का पंजीयन निरस्त करने बावत् प्रस्ताव/ठहराव मंजूर किया गया। समिति सदस्यों द्वारा कार्यालय उप-आयुक्त सहकारिता नरसिंहपुर को उक्त समिति का पंजीयन निरस्त करने बावत् प्रस्ताव सहित आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया गया। जिसमें लेख किया गया कि संस्था के पास किसी प्रकार के आय का साधन नहीं होने के कारण समिति अकार्यशील है। अतः समिति का पंजीयन निरस्त करने का कष्ट करें। समिति के विगत वर्षों की अंकेक्षण टीपों का अवलोकन करने पर यह पाया गया कि-

1. संस्था ने पंजीयन दिनांक से अभी तक अपने उद्देश्यों के अनुरूप कार्य प्रारंभ नहीं किया है।
2. संस्था द्वारा निर्वाचन नहीं कराया गया है।
3. संस्था द्वारा आमसभा का आयोजन नहीं किया गया है।
4. संस्था द्वारा सहकारी सोसायटी अधिनियम, नियम एवं उपविधियों के प्रावधानों के अनुरूप कार्य नहीं किया जा रहा है।

संस्था के सदस्यों द्वारा संस्था के कार्य में कोई रुचि नहीं ली जा रही है तथा संस्था पंजीयन दिनांक से वर्तमान तक अकार्यशील एवं निष्क्रिय है। संस्था के संचालक मण्डल द्वारा स्वयं पंजीयन निरस्त करने हेतु प्रस्ताव पारित किया गया है इससे स्पष्ट है कि संस्था के सदस्यों की संस्था में कोई रुचि नहीं है। ऐसी स्थिति में संस्था के अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य है।

अतएवं म.प्र. शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्ध-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा-69(3) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं, अखिलेश कुमार निगम, डिप्टी रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थायें, जिला नरसिंहपुर, नर्मदा वृक्षारोपण सहकारी समिति मर्या., रमपुरा (करपानी) पंजीयन क्रमांक 798 जिला नरसिंहपुर को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर अपेक्षा करता हूँ कि पत्र प्राप्ति के 15 दिवस के अंदर इस कार्यालय में उपस्थित होकर लिखित या मौखिक रूप से अपना जवाब/पक्ष प्रस्तुत करें, अन्यथा की स्थिति में नियत समयावधि के पश्चात् यह माना जाकर कि संस्था अपने पक्ष समर्थन में कुछ नहीं कहना चाहती है। एक पक्षीय कार्यवाही करते हुये संस्था का पंजीयन निरस्त किये जाने का आदेश सहकारी अधिनियम की धारा-18(ए) के तहत जारी कर दिया जायेगा।

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 12 जनवरी, 2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

अखिलेश कुमार निगम,

(53)

डिप्टी रजिस्ट्रार.

कार्यालय परिसमापक उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएँ, जिला खरगौन

दिनांक 11 जनवरी, 2021

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 की धारा-57 (सी) के अंतर्गत]

क्र./परि./2021/क्यू —उप-पंजीयक, सहकारी समितियाँ, जिला खरगौन द्वारा सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) के अंतर्गत निम्नलिखित संस्थाओं को सम्मुख अंकित आदेश से परिसमापन में लाया जाकर धारा-70(1) के अंतर्गत अधोहस्ताक्षरकर्ता को परिसमापक नियुक्त किया गया है:-

क्र.	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक व दिनांक	परिसमापन क्रमांक व दिनांक	विकासखण्ड	परिसमापक का नाम
1	2	3	4	5	6
1.	आर्दश भीलाला साख सहकारी संस्था मर्यादित, बडवाह, जिला खरगौन.	1429/11-11-2020	1831/10-03-2014	बडवाह	मनोहर वास्कले, स.नि. खरगौन
2.	अपनी साख सहकारी संस्था मर्यादित, बडवाह, जिला खरगौन.	1436/11-11-2020	1878/10-03-2014	बडवाह	मनोहर वास्कले, स.नि. खरगौन
3.	तुलसी साख सहकारी संस्था मर्यादित, सनावद, जिला खरगौन.	1444/11-11-2020	1907/10-03-2014	बडवाह	मनोहर वास्कले, स.नि. खरगौन
4.	मॉ रेवा सहकारी मुद्रणालय मर्यादित, बडवाह, जिला खरगौन.	1420/11-11-2020	1710/10-03-2014	बडवाह	मनोहर वास्कले, स.नि. खरगौन

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम-1962 के नियम-57(सी) के अंतर्गत उक्त सहकारी संस्थाओं के समस्त दावेदारों को एतद्वारा सूचित करता हूँ कि वे संस्थाओं के विरुद्ध दावों को इस सूचना-पत्र के जारी होने के दिनांक से दो माह के अन्दर मय प्रमाण के यदि कोई हो तो लिखितरूप से मेरे कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला खरगौन कार्यालयीन दिवस में प्रातः 11.00 से दोपहर 3.00 बजे तक प्रस्तुत करें। त्रुटि की दशा में साहूकारगण/दावेदारगण/सदस्यगण किसी भी लाभ के बंटबारे से वंचित होने से दायित्वाधीन होंगे। समयावधि उपरान्त उनके कोई दावे एवं आपत्तियां मान्य नहीं होगी तथा संस्था की लेखापुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे।

यदि उक्त संस्थाओं के अभिलेख या आस्तियां, डेड स्टॉक संस्था का रिकार्ड किसी के पास हो तो अविलम्ब अधोहस्ताक्षरकर्ता को सौंपें, यदि बाद में ज्ञात होता है कि किसी के द्वारा जानबूझकर आस्तियों या अभिलेख एवं रिकार्ड, डेडस्टॉक नहीं सौंपे गये हैं तो संबंधित के विरुद्ध उनको वसूलने हेतु विधिवत वैधानिक कार्यावाही की जावेगी, जिसकी सम्पूर्ण जवाबदारी संबंधित की रहेगी।

यदि उक्त संस्थाओं के अभिलेख एवं आस्तियां समस्त प्रयासों के बावजूद प्राप्त नहीं होती हैं तो दावेदारों/साहूकारों/सदस्यों के दावे, आपत्तियों का निराकरण पंजीयन कक्ष से प्राप्त दस्तावेज एवं गत वर्षों के वित्तीय पत्रकों में दर्शाई लेनदारी एवं देनदारी की प्रविष्टियां बोगस/शून्यकाल मानकर तदनुसार पंजीयन निरस्ती हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत कर सक्षम अधिकारी के अनुमोदन से पंजीयन निरस्ती की कार्यवाही की जावेगी।

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 11 जनवरी, 2021 को मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया।

(54) मनोहर वास्करे,
सहकारी निरीक्षक एवं परिसमापक.

कार्यालय परिसमापक एवं सहकारिता विस्तार अधिकारी, सहकारी संस्थाएं, बैतूल

बैतूल, दिनांक 04 जनवरी, 2021

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम-57 (सी/ग) के अंतर्गत]

क्र./परि./2021/06 — कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बैतूल के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1962 की धारा-69 के अंतर्गत सहकारी संस्थाओं को परिसमापन में लाया जाकर धारा-70(1) के अन्तर्गत आदेश क्रमांक/परिसमापन/2018/1412 दिनांक 26 जुलाई, 2018 एवं क्रमांक/परिसमापन/2020/190 दिनांक 27 जनवरी, 2020 द्वारा मुझे निम्नानुसार संस्थाओं का परिसमापक नियुक्त किया गया है:-

क्र.	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक व दिनांक	विकासखण्ड
1	2	3	4
1.	समृद्धि महिला बहु.स.स. मर्या., जुवाडी.	1584/12-09-2008	धोडाडोगरी
2.	रोटू बीज उत्पा. सह.संस्था मर्या., झोली न.1.	1693/14-08-2012	धोडाडोगरी
3.	पुलिस कर्मचारी गृह निर्माण सह.संस्था मर्या., बैतूल	1066/27-09-1983	बैतूल
4.	विश्वकर्मा औद्योगिक सह.संस्था. मर्या., बैतूल	1012/19-01-1982	बैतूल

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम-1960 की धारा-70(1) को उपयोग में लाते हुए मैं, बसंत मगरदे परिसमापक सहकारी संस्थाएं, बैतूल मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम 1962 के नियम 57(सी/ग) के अन्तर्गत यह सूचित करता हूँ कि उक्त संस्थाओं से किसी दावेदार या सदस्यों की कोई लेनदारी हो या दावा प्रस्तुत करना हो तो इस सूचना के जारी होने के दो माह के अन्दर मय दस्तावेजों/प्रमाणकों के कार्यालयीन समय में मेरे समक्ष उपस्थित होकर प्रस्तुत करें। निर्धारित समयावधि की समाप्ति के पश्चात् दावों (क्लेम) पर कोई विचार नहीं किया जावेगा. जिसके लिए संबंधित सदस्य/दावेदार ही व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी रहेंगे. संस्था के कोई भी अभिलेख या सम्पत्ति किसी भी व्यक्ति के पास उपलब्ध हो तो वह भी 60 दिवस के भीतर मेरे कार्यालय में जमा कर देवे अन्यथा ऐसे व्यक्ति वैधानिक कार्यवाही के लिए उत्तरदायी होंगे.

(55) बसंत मगरदे,
परिसमापक.



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 5]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 29 जनवरी, 2021-माघ 9, शके 1942

भाग 3 (2)

सांख्यिकी सूचनाएं

कार्यालय आयुक्त, भू-अभिलेख एवं बन्दोबस्त, मध्यप्रदेश

मौसम, फसल तथा पशु-स्थिति का साप्ताहिक प्रतिवेदन, बुधवार, दिनांक 23 दिसम्बर, 2020

संबन्धित जिलों के सामने सांख्यिकी सूचना-1 में वर्षा मिली मीटर में प्रतिवेदित की गई है.

1. **मौसम एवं वर्षा**:-ग्रायः राज्य में मौसम मेघाछादित रहा. राज्य के कुछ जिलों में वर्षा का होना प्रतिवेदित किया गया है.
2. **प्रारम्भिक जुलाई पर वर्षा का प्रभाव** :-राज्य के कुछ जिलों में जुलाई चालू है.
3. **बोनी पर वर्षा का प्रभाव** :- राज्य के कुछ जिलों में बोनी चालू है.
4. **धानरोपाई पर वर्षा का प्रभाव** :-रोपाई समाप्त हो चुकी है.
5. **खड़ी फसल पर रोग व कीड़ों का प्रभाव** :-कोई प्रभाव होना प्रतिवेदित नहीं किया गया है.
6. **कटी हुई फसल पर वर्षा का प्रभाव** :-कोई प्रभाव होना प्रतिवेदित नहीं किया गया है.
7. **अन्य असामयिक घटना से क्षति** :-कोई क्षति होना प्रतिवेदित नहीं किया गया है.
8. **फसल स्थिति** :-जिलों से प्राप्त पत्रकों में कुछ जिलों में फसल बिगड़ी हुई प्रतिवेदित किया गया है.
9. **सिंचाई**:- राज्य के कुछ जिलों में सिंचाई हेतु पानी अपर्याप्त मात्रा में प्रतिवेदित किया गया है.
10. **पशुओं की स्थिति**:- राज्य के जिलों से प्राप्त पत्रकों में पशुओं की स्थिति सन्तोषप्रद रहना प्रतिवेदित किया गया है.
11. **चारा** :- राज्य के जिलों से प्राप्त पत्रकों में चारा पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध रहना प्रतिवेदित किया गया है.
12. **बीज**:- राज्य के जिलों से प्राप्त पत्रकों में बीज पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होना प्रतिवेदित किया गया है.
13. **खेतिहर श्रमिक** :- राज्य के जिलों से प्राप्त पत्रकों में खेतिहर श्रमिक उचित दर पर पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होना प्रतिवेदित किया गया है.

मौसम, फसल तथा पशु-स्थिति का साप्ताहिक सूचना-पत्रक-1, सप्ताहान्त बुधवार, दिनांक 23 दिसम्बर, 2020

क्र.	जिला	तहसील	सप्ताह में वर्षा जो हुई मि. मी. वर्षा कम/अधिक.	कृषि कार्यों, प्रारम्भिक जुताई, बोनी पर (रोपाई) पर (धान) कटी हुई फसल वर्षा	खड़ी फसल पर रोग व कीड़ों के आक्रमण का प्रभाव.	असमयिक घटना	क्षति प्रतिशत में	जिले की गत वर्ष की फसल की तुलना में चालू वर्ष की खड़ी फसल का व्यापक रूप से अनुमान फसल का क्षेत्रफल-समान या कम प्रतिशत फसल की हालत-समान, बिगड़ी या सुधरी प्रतिशत							5. सिंचाई के लिये पानी पर्याप्त या अपर्याप्त. 6 (अ) चारे की प्राप्ति. 6 (ब) पशुओं की हालत			(7) बीज की प्राप्ति कृषि सम्बन्धी. (8) मजदूरों की प्राप्ति	
1	2	3	4	5	5 (ब)	6	7	8							9			10	
1.	मुरैना :	अम्बाह पोरसा मुरैना जौरा कैलारस सबलगढ़		जुताई चालू बोनी चालू				रई-सरसों चना							5. पर्याप्त.	6.(अ)संतोषजनक,	6.(ब)अच्छी.	7. पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2.	श्यामपुर :	श्यामपुर कराहल विजयपुर वीरपुर बडोदा						गन्ना तुअर मसूर	गेहूँ चना तुअर	जो रई-सरसों मटर	सामान्य सामान्य समान		सामान्य सामान्य सामान्य		5. पर्याप्त.	6.(अ)पर्याप्त,	6.(ब)अच्छी.	7. ..	8. ..
3.	भिण्ड :	अटेर भिण्ड गोहद मेहगांव लहार रैन+मिहोना गोरमी मौ		बोनी चालू जुताई चालू				रई-सरसों गेहूँ चना मटर मसूर तुअर			कम अधिक अधिक अधिक सामान्य समान	5% 10% 5% 5%	सामान्य सुधरी हुई सुधरी हुई सुधरी हुई सामान्य समान	 5% 2% 5%	5. पर्याप्त.	6.(अ)पर्याप्त,	6.(ब)अच्छी.	7. पर्याप्त.	8. पर्याप्त.

1	2	3	4	5	5 (ब)	6	7	8							9			10	
4.	ग्वालियर :	ग्वालियर	..	..	जुताई चालू	..	..	..	..	..	..	..	..	..	5. . .	6.(अ). .	6.(ब)अच्छी.	7. . .	8. पर्याप्त.
		डबरा	..	..	बोनी चालू	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
		भितरवार	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
		चीनोर	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
		घाटीगांव	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
5.	दतिया :	..	..	..	..	..	..	गन्ना	मटर	..	अधिक	10%	सामान्य	..	5. पर्याप्त.	6.(अ)पर्याप्त,	6.(ब)अच्छी.	7. . .	8. पर्याप्त.
		सेंवढ़ा	..	..	..	..	..	चना	..	..	अधिक	5%	सामान्य	..	..	..	..	..	..
		दतिया	..	..	..	..	..	रई-सरसों	मसूर	गेहूँ	सामान्य	..	सामान्य	..	..	..	..	..	..
		इन्दरगढ़	..	..	..	..	..	मटर	..	..	अधिक	10%	सामान्य	..	..	..	..	..	..
		बढौनी	..	..	..	..	..	जो	..	..	कम	5%	सामान्य	..	..	..	..	..	..
		भाण्डेर	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
6.	शिवपुरी :	..	..	..	..	..	..	रई-सरसों	..	..	कम	15%	बिगड़ी	10%	5. पर्याप्त.	6.(अ)पर्याप्त,	6.(ब)अच्छी.	7. पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
		शिवपुरी	..	..	..	..	..	गेहूँ	..	..	कम	5%	सामान्य	..	..	..	..	..	..
		पिछोर	..	..	..	..	..	चना	..	..	अधिक	10%	सामान्य	..	..	..	..	..	..
		खनियाधाना	..	..	..	..	..	अन्य	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
		नरवर	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
		करैरा	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
		कोलारस	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
		पोहरी	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
		बैराढ़	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
		बदरवास	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
7.	अशोकनगर :	..	..	..	..	..	..	गेहूँ	..	..	अधिक	30%	सामान्य	..	5. पर्याप्त	6.(अ)पर्याप्त	6.(ब)अच्छी.	7. . .	8. पर्याप्त.
		मुँगावली	..	..	..	..	..	चना	..	..	कम	40%	सामान्य	..	..	..	..	..	..
		ईसागढ़	..	..	..	..	..	गन्ना	..	..	कम	40%	सामान्य	..	..	..	..	..	..
		अशोकनगर	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
		चन्देरी	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
		नई सराय	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
		पिपरई	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
		शाढोरा	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..

1	2	3	4	5	5 (ब)	6	7	8								9			10	
8.	गुना :		..	..	..	..	..	गेहूँ	..	..	..	..	..	..	5. पर्याप्त.	6.(अ)पर्याप्त,	6.(ब)अच्छी.	7. पर्याप्त.	8. पर्याप्त.	
		गुना	..	..	..	..	..	चना	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	
		राघोगढ़	..	..	..	..	..	राई-सरसों	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	
		बमोरी	..	..	..	..	..	मसूर	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	
		आरोन	..	..	..	..	..	अन्य	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	
		चाचौड़ा	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	
		मकसूदनगढ़	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	
कुम्भराज	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..			
9.	टीकमगढ़ :	..	..	..	..	..	..	चना	..	..	अधिक	0.02	सामान्य	..	5. अपर्याप्त.	6.(अ)पर्याप्त,	6.(ब)अच्छी.	7. पर्याप्त.	8. पर्याप्त.	
		जतारा	..	..	..	..	..	राई-सरसों	..	..	अधिक	0.05	समान	..	..	..	..	..	0	
		टीकमगढ़	..	..	..	..	..	मसूर	..	..	कम	2%	समान	..	..	..	..	..	..	
		बल्लदेवगढ़	..	..	..	..	..	मटर	..	..	अधिक	2%	सामान्य	..	..	..	..	..	..	
		पलेरा	..	..	..	..	..	गेहूँ	..	..	अधिक	5%	सामान्य	..	..	..	..	..	..	
		खरगापुर	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	
		मोहनगढ़	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	
10.	निवाड़ी :	लिधौरा	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	
		..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	5. . .	6.(अ). .	6.(ब). .	7. . .	8. . .		
		निवाड़ी	..	..	..	..	..	राई-सरसों	..	..	अधिक	..	..	..	..	..	..	..	..	
11.	छतरपुर :	पृथ्वीपुर	..	..	..	..	..	गेहूँ	जौ	चना	कम	..	..	..	..	..	..	..	..	
		ओरछा	..	..	..	..	..	अन्य	..	..	कम	..	..	..	..	..	..	..	..	
		..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	5. पर्याप्त.	6.(अ)पर्याप्त,	6.(ब)अच्छी.	7. पर्याप्त.	8. पर्याप्त.		
		जुताई चालू	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	
		बोनी चालू	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	
		गौरीहार	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	
		नौगांव	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	
		छतरपुर	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	
		राजनगर	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	
		बिजावर	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	
		बड़ा मलहरा	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	
		महाराजपुर	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	
		चंदला	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	
		धुवारा	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	
		लवकुशनगर	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	
बक्सवाहा	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..			

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

1	2	3	4		5	5 (ब)	6	7	8						9			10		
25.	उज्जैन :	खाचरौद महिदपुर तराना घटिया उज्जैन बड़नगर नागदा	..	..	..	..	..	..	गेहूँ चना	..	..	कम अधिक	10% 30%	सामान्य समान	..	5. पर्याप्त.	6.(अ)पर्याप्त, ..	6.(ब)अच्छी. ..	7. पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
26.	आगर :	बड़ौद सुसनेर नलखेड़ा आगर	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	5. पर्याप्त.	6.(अ)पर्याप्त, ..	6.(ब)अच्छी. ..	7. पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
27.	शाजापुर:	मोमन (बड़े) शाजापुर शुजालपुर कालापीपल पोलायकलां अबंतीपुर- बडौदिया गुलाना	..	..	..	..	..	..	गेहूँ चना रई-सरसों मसूर तुअर अन्य	..	..	अधिक कम सामान्य सामान्य कम अधिक	15% 10% 10% 2%	सामान्य सामान्य सामान्य सामान्य समान	..	5. पर्याप्त.	6.(अ)पर्याप्त ..	6.(ब)अच्छी. ..	7. पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
28.	देवास :	सोनकच्छ टोंकखुर्द देवास बागली कन्नोद हाटपिपल्या सतवास उदयनगर खातेगांव	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	5. पर्याप्त.	6.(अ)संतोषजनक ..	6.(ब)अच्छी. ..	7. पर्याप्त.	8. पर्याप्त.

1	2	3	4	5	5 (ब)	6	7	8						9			10		
29.	झाबुआ :	थांदला मेघनगर पेटलावद झाबुआ राणापुर रामा			जुताई चालू बोनी चालू			तुअर			सामान्य		सामान्य		5. अपर्याप्त.	6.(अ)पर्याप्त,	6.(ब)अच्छी.	7.पर्याप्त.	8.
30.	अलीराजपुर :	जोवट अलीराजपुर कट्टीवाड़ा सोंडवा उदयगढ़ चन्द्रशेखर आ. नगर													5. पर्याप्त.	6.(अ)पर्याप्त,	6.(ब)अच्छी.	7.	8. पर्याप्त.
31.	धार :	बदनावर सरदारपुर धार कुक्षी मनावर धरमपुरी गंधवानी डही पीथमपुर			जुताई चालू बोनी चालू			गन्ना	कपास		अधिक	10%	सामान्य		5. पर्याप्त.	6.(अ)पर्याप्त,	6.(ब)अच्छी.	7.	8. पर्याप्त.
32.	इन्दौर :	देपालपुर सांवेर इन्दौर गौतमपुरा महू (अम्बे)			जुताई चालू बोनी चालू										5. पर्याप्त.	6.(अ)पर्याप्त,	6.(ब)अच्छी.	7.पर्याप्त	8. पर्याप्त

1	2	3	4	5	5 (ब)	6	7	8						9			10		
33.	खरगौन :			जुताई चालू बोनी चालू				तुअर	कपास		कम		सामान्य		5. पर्याप्त.	6.(अ)पर्याप्त,	6.(ब)अच्छी.	7. पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
	बड़वाह																		
	महेश्वर																		
	सेगांव																		
	खरगौन																		
	गोगावां																		
	कसरावद																		
	भगवानपुरा																		
	भीकनगांव																		
	सनावद																		
	झिरन्या																		
34.	बड़वानी :			जुताई चालू बोनी चालू				गेहूँ	चना		समान		समान		5. पर्याप्त.	6.(अ)पर्याप्त,	6.(ब)अच्छी.	7. पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
	बड़वानी																		
	ठीकरी																		
	राजपुर																		
	सैंधवा																		
	पानसेमल																		
	पाटी																		
	अंजड																		
	बरला																		
	निवाली																		
35.	खण्डवा :			जुताई चालू बोनी चालू				तुअर गेहूँ			अधिक अधिक	2% 2%	समान समान		5. पर्याप्त.	6.(अ)पर्याप्त,	6.(ब)अच्छी.	7. पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
	खण्डवा																		
	पुनासा																		
	खालवा																		
	पंधाना																		
	हरसूद																		
36.	बुरहानपुर :			बोनी चालू											5. . .	6.(अ)पर्याप्त,	6.(ब)अच्छी.	7. पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
	बुरहानपुर																		
	खकनार																		
	नेपानगर																		

1	2	3	4	5	5 (ब)	6	7	8						9			10		
37.	राजगढ़ :	राजगढ़ जीरापुर खिलचीपुर ब्यावरा सारंगपुर पचोर नरसिंहगढ़						गेहूँ चना मसूर अन्य			अधिक कम अधिक	5% 5% 5%			5. पर्याप्त.	6.(अ)पर्याप्त,	6.(ब)अच्छी.	7. पर्याप्त	8. पर्याप्त.
38.	विदिशा :	लटेरी सिरोंज कुरवाई बासोदा नटेरन विदिशा गुलाबगंज शमसाबाद त्यौंदा पठारी ग्यारसपुर	.. पर्याप्त ..					गेहूँ मसूर चना				सुधरी हुई सुधरी हुई सुधरी हुई	20% 15% 25%	5. पर्याप्त.	6.(अ)पर्याप्त, ..	6.(ब)सामान्य. ..	7. पर्याप्त	8. पर्याप्त.	
39.	भोपाल :	बैरसिया कोलार हुजूर बैरागढ़		जुताई चालू बोनी चालू				गेहूँ चना मटर धान	 मसूर ज्वार		कम अधिक सामान्य कम	10% 15% 10%	सामान्य सामान्य सामान्य समान		5. पर्याप्त.	6.(अ)पर्याप्त,	6.(ब)अच्छी.	7. पर्याप्त	8. पर्याप्त.
40.	सीहोर :	सीहोर आष्टा इछाबर नसरुल्लागंज रेहटी श्यामपुर जावर बुधनी						गन्ना तुअर गेहूँ चना मसूर			कम कम अधिक अधिक कम	50% 15% 2% 2% 2%	सुधरी हुई सुधरी हुई सुधरी हुई सुधरी हुई सुधरी हुई		5. पर्याप्त.	6.(अ)पर्याप्त,	6.(ब)अच्छी.	7. पर्याप्त	8. पर्याप्त.

1	2	3	4	5	5 (ब)	6	7	8						9			10		
44.	हरदा :		..	..	..	..	..	गेहूँ	..	..	कम	..	सामान्य	..	5. पर्याप्त.	6.(अ)पर्याप्त,	6.(ब)अच्छी.	7. पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
		हरदा	..	..	..	..	..	चना	..	..	अधिक	..	सामान्य	..	..	..	..	..	..
		खिड़किया	..	..	..	..	..	अन्य	..	..	समान	..	सामान्य	..	..	..	..	..	..
		सिराली	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
		रेहटगांव	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
		हंडिया	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
टिमरनी	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..		
45.	जबलपुर:		..	..	जुताई चालू	..	..	गेहूँ	..	..	कम	15%	सामान्य	..	5. अपर्याप्त.	6.(अ)पर्याप्त,	6.(ब)अच्छी.	7. ..	8. पर्याप्त.
		आधारताल	..	..	..	..	..	मटर	..	..	अधिक	20%	समान	..	..	..	..	..	..
		कुण्डम	..	..	..	..	..	मसूर	..	..	कम	50%	सामान्य	..	..	..	..	..	..
		सीहोरा	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
		पाटन	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
		मझौली	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
46.	कटनी :	शाहपुरा	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
			..	..	जुताई चालू	..	..	चना	गेहूँ	..	..	सामान्य	..	5. पर्याप्त	6.(अ)पर्याप्त,	6.(ब)अच्छी.	7. पर्याप्त.	8. पर्याप्त.	
		बहोरीबंद	..	..	बोनी चालू	..	..	अलसी	..	..	..	..	सामान्य	..	..	..	..	..	..
		ढीमरखेड़ा	..	..	..	..	..	मसूर	..	..	..	..	सामान्य	..	..	..	..	..	..
		रीठी	..	..	..	..	..	#REF!	..	..	..	..	सामान्य	..	..	..	..	..	..
		बड़वारा	..	..	..	..	..	खई-सस्से	..	..	..	..	सामान्य	..	..	..	..	..	..
		मुड़वारा (क)	..	..	..	..	..	तुअर	..	..	..	..	समान	..	..	..	..	..	..
		विजयराषवगढ़	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
47.	नरसिंहपुर :	बरही	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
			..	..	जुताई चालू	..	..	गन्ना	..	..	अधिक	5%	..	..	5. ..	6.(अ)पर्याप्त,	6.(ब)अच्छी.	7. पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
		नरसिंहपुर	..	..	बोनी चालू	..	..	तुअर	..	..	कम	2%	..	..	..	..	..	..	..
		गोटेगांव	..	..	..	..	..	गेहूँ	..	..	कम	40%	..	..	..	..	..	..	..
		करेली	..	..	..	..	..	चना	..	..	कम	30%	..	..	..	..	..	..	..
		गाडरवारा	..	..	..	..	..	मसूर	..	..	कम	10%	..	..	..	..	..	..	..
तेंदूखेड़ा	..	..	..	..	..	मटर	..	..	कम	15%	..	..	..	..	..	..	..		

[illegible]

1	2	3	4	5	5 (ब)	6	7	8								9			10	
52.	बालाघाट :			..	..	..	..	गेहूँ	..	..	..	..	..	..	..	5. पर्याप्त.	6.(अ)पर्याप्त,	6.(ब)अच्छी.	7. . .	8. पर्याप्त.
	बालाघाट			..	..	..	..	चना	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
	लाँजी			..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
	किरनापुर			..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
	बैहर			..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
	वारासिवनी			..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
	कटंगी			..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
	लालबर्ग			..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
	तिरोडी			..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
	परसवाड़ा			..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
	बिरसा			..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
	खैरलाँजी			..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..

(36)

ओ. पी. बाथम,
प्रभारी सहायक-आयुक्त,
वास्ते-आयुक्त,
भू-अभिलेख एवं बन्दोबस्त, मध्यप्रदेश.